दिनांक–08.04.2026 को निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में उत्तरी बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है:–
   (1) श्री नजर हुसैन, अपर सचिव
   (2) श्री ललित राही, विशेष कार्य पदाधिकारी

2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। उत्तरी बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये:–

   I. शवदाह–गृह/कब्रिस्तान में अंत्येष्टि किये गये मृतक का निर्धारित अवधि के अन्दर निर्गत मृत्यु प्रमाण–पत्र :–

   विभागीय पत्रांक–5046 दिनांक–25.03.2026 के आलोक में जिलों को हस्तगत कराये गए मृत्यु प्रमाण–पत्र से संबंधित प्रपत्र की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक उत्तरी बिहार में कुल 15367 वार्ड सदस्यों/पंच/वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सचिव को मृत्यु प्रमाण–पत्र से संबंधित प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है। निर्धारित अवधि के अन्दर मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया के संबंध में पूर्व में सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

   दिनांक–01.04.2026 से ग्राम पंचायतों में सरकारी भूमि पर अवस्थित शमशाम/कब्रिस्तान में किये गये अंत्येष्टि के मृतकों का मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्धारित अवधि के अन्दर मृतकों के संबंधितों को हस्तगत कराने हेतु निदेश दिया गया। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित मुखिया द्वारा मोक्षधाम/शवदाह–गृह के निर्माण हेतु GPDP में शामिल कराने का अनुरोध किया गया। प्रखंड मुख्यालय अवस्थित पंचायत में मोक्षधाम/शवदाह–गृह का निर्माण पंचायत समिति के द्वारा किया जाना है, इसलिए इसे BPDP में शामिल कराने का अनुरोध किया गया।

   विभाग के द्वारा प्रेषित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर स्थल विशिष्ट (Site Specific) प्राक्कलन तैयार कर नियमानुसार मोक्षधाम/शवदाह–गृह का निर्माण किये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।

कृ0पृ0उ0............

विदित हो कि बिहार विकास मिशन द्वारा प्रत्येक 15 दिनों पर मोक्षधाम की समीक्षा की जाती है। निदेशित किया जाता है कि सभी DPRO नियमित रूप से इसकी समीक्षा कर अद्यतन प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

निर्गत किये गये मृत्यु प्रमाण–पत्र से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु एक पोर्टल तैयार किया गया है। सभी DPRO को निदेश दिया गया कि इससे संबंधित सभी जानकारियों को पोर्टल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–उत्तरी बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

II. पंचायत सरकार भवन के हस्तांतरण एवं क्रियाशीलता की अद्यतन स्थितिः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक–01.10.2025 को उत्तरी बिहार में ग्राम पंचायत द्वारा 86, LAEO के द्वारा 221 एवं भवन निर्माण विभाग के द्वारा 189 निर्मित पंचायत सरकार भवन का लोकार्पण किया गया था, परन्तु समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा, मधेपुरा, वैशाली जिलो द्वारा उसका हस्तांतरण कर क्रियाशील करने की प्रगति असंतोषजनक है। सभी DPRO को निदेशित किया गया कि निर्माण एजेंसी से समन्वय कर एक सप्ताह के अंदर विधिवत ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करते हुए पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि उत्तरी बिहार में कुल 1654 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया गया है जिसमें से 1419 पंचायत सरकार भवन संचालित है।

संचालित पंचायत सरकार भवनों में 31 में बैंक, 1417 में RTPS केन्द्र, 538 में Post Office, 205 में NOFN, 409 में पुस्तकालय एवं 10 में सुधा पार्लर का संचालन किया जा रहा है। उत्तरी बिहार केसभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

(ग) ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण किये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक उत्तरी बिहार में तकनीकी सहायक द्वारा तैयार 441 पंचायतों के प्राक्कलन के विरूद्ध 259 पंचायतों में तकनीकी स्वीकृति तथा 135 पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जो चिन्ताजनक है। निदेश दिया गया कि 15 दिनों के अंदर सभी पंचायतों में तकनीकी स्वीकृति लेना सुनिश्चित किया जाए तथा जिन पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, उन पंचायतों मे निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें।

कतिपय यह पाया गया है कि तकनाकी सहायक द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन को जब LAEO के मुख्य अभियंता के पास तकनाकी स्वीकृति हेतु भेजा

लगातार..........

जाता है तो उसमे कुछ कमियों को उजागर कर वापस कर दिया जाता है जिससे पंचायत सरकार भवन के निर्माण में अनावश्यक विलंब होता है। सभी DPRO को निदेश दिया जाता है कि संबंधित तकनीकी सहायक को मुख्य अभियंता के पास भेजकर त्रुटियों का निराकरण हाथों–हाथ कराना सुनिश्चित करेंगें।

(अनुपालनः–उत्तरी बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

III. पंचायत सरकार भवन में आधार (AADHAAR) सेवा उपलब्ध कराने की अद्यतन स्थितिः–

विभागीय पत्रांक– 4032 दिनांक– 09.03.2026 के द्वारा ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर एवं प्रिंटर से संबंधित सूची के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि उत्तरी बिहार के अररिया, बेगूसराय, दरभंगा, गोपालगंज, खगड़िया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सारण, शिवहर, सिवान, सुपौल जिलो द्वारा Google Sheet पूर्ण रूप से अद्यतन नहीं किया गया है। इन सभी जिलों के DPRO को निदेशित किया गया कि यथाशीघ्र Google Sheet को अद्यतन कर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

विदित हो कि दिनांक–15.04.2026 से 2000 पंचायतो में आधार सेवा शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य को देखते हुए सभी DPRO को निदेश दिया गया कि अबिलंव पंचायत से आधार किट क्रय कराना सुनिश्चित करेंगें। साथ ही जिन पंचायतो में Wired Internet Connection उपलब्ध नहीं है वहां यथाशीघ्र Internet Connection install करना सुनिश्चित करेंगें। सभी संबंधित कार्यपालक सहायक को LMS पर प्रशिक्षण कर प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का निदेश दिया गया। इसकी प्रक्रिया विस्तृत रूप से बताया गया है।

(अनुपालनः–उत्तरी बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह० 15/4/26

(नवीन कुमार सिंह)
निदेशक
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–9प०/प्र०–08–802(खंड)/2016/5864/पं०रा० पटना, दिनांक 15/4/2026

प्रतिलिपिः–बिहार के सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 15.4.26

(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव

लगातार............

ज्ञापांकः–9प० / प्र०–08–802(खंड) / 2016 / 5864 / पं०रा० पटना, दिनांक 15 / 4 / 2026
प्रतिलिपिः–सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / निदेशक के आशुलिपिक / अपर सचिव के आशुलिपिक / सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी / सभी प्रभारी पदाधिकारी / सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निर्मल
15.4.26
(निर्मय कुमार सिंह)
अवर सचिव

ज्ञापांकः–9प० / प्र०–08–802(खंड) / 2016 / 5864 / पं०रा० पटना, दिनांक 15 / 4 / 2026
प्रतिलिपिः–आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए निदेशित किया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

निर्मल
15.4.26
(निर्मय कुमार सिंह)
अवर सचिव